न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2011 निगरानी

1. कैलाश चन्द } पि. दुर्गालाल
2. सन्तोष कुमार }
3. सुरेश चन्द्र
4. कमलकिशोर } पि. रूपचन्द
5. नवरत्न
6. लक्ष्मण
7. रवि

} जाति ब्राहमण निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ए.वी.पी ऐज्यूकेशन सोसायटी लालसोट जरिये सचिव विनीत कुमार पुत्र अशोक कुमार उपाध्याय निवासी साईजी की कोठी के पास लालसोट कस्बा तहसील लालसोट जिला दौसा
2. नगर पालिका लालसोट तहसील लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी न.पा. लालसोट

गैरनिगरानीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 80(2) न.पा. अधिनियम

उपस्थिति : श्री एच.एन.माठा अधिवक्ता अपीलान्ट सं. 01 लगा0 7 उपस्थित।
: श्री वैभव शर्मा "गुरावा" अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 24.7.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में बिरदीचन्द पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/2 एवं दुर्गालाल रूपचन्द पि. केदार हिस्सा 1/2 दर्ज थी। ख.न. 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट में बिरदीचन्द ने अपने हिस्से 1/2 की भूमि को अशोक कुमार, दिनेश कुमार पि. कजोडमल उपाध्याय ब्राहमण निवासी लालसोट को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी। वर्तमान में 1/2 हिस्से की खातेदारी उक्त भूमि में अशोक कुमार दिनेश कुमार उपाध्याय एवं 1/2 हिस्से की दुर्गालाल रूपचन्द पि. केदार के नाम अंकित चली आ रही है। अशोक कुमार दिनेश कुमार उपाध्याय ने भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये अपने हिस्से की भूमि को धारा 90 बी

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

भू–राजस्व अधिनियम के तहत आबादी भूमि में परिवर्तित करा लिया एवं राजस्व कर्मचारियों से व अधिकारियो से मिलकर उक्त भूमि का अलग नम्बर डलवा लिया एवं बिना विधिवत विभाजन कराये ही अपनी मनमर्जी से नगर पालिका लालसोट से साजिश कर उक्त हिस्से 1/2 की भूमि को आबादी में परिवर्तित करवा ली उसमें से 1500 वर्गगज का पट्टा गुपचुप में दिनांक 06.11.2007 को रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपने नाम करा लिया। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट में राजस्व रिकार्ड में बिरदीचन्द पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/2 एवं दुर्गालाल रूपचन्द पि. केदार हिस्सा 1/2 दर्ज थी। बिरदीचन्द ने अपने हिस्से 1/2 की भूमि को अशोक कुमार, दिनेश कुमार पि. कजोडमल उपाध्याय ब्राहमण निवासी लालसोट को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दी। जिसका बिना विधिवत विभाजन कराये ही उन्होंने उक्त भूमि को आबादी में धारा 90 बी भू–राजस्व अधिनियम में परिवर्तित करा लिया एवं नगरापालिका लालसोट से बिना वैध अधिकार के गैर निगरानीकार सं0 1 के नाम 1500 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 6.11.07 को ले लिया जो विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। नगरपालिका ने बिना ख0नं0 155 के राजस्व रिकार्ड एवं नक्शाशीट का निरीक्षण किये एवं बिना मौके का अवलोकन किये ही गलत तौर पर उक्त पट्टा जारी किया है। विभाजन के बिना पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार तकास्मा करवाने के बाद पट्टा जारी कर सकते हैं। बिना सुनवाई एवं बिना नोटिस जारी किये एकपक्षीय पट्टा जारी कर दिया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए नगरपालिका लालसोट द्वारा दिनांक 6.11.07 को गैर निगरानीकार सं0 1 को दिया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत निगरानी में सात निगरानीकार है जिनमे से केवल एक नवरतन के ही हस्ताक्षर है। ख.न. 155 में पट्टा स्थित हैं। निगरानीकारान के खातेदारी में 11 खसरे है। जिनमे से एक खसरा 155 भी है। कुल किता 11 खसरा नम्बरान का रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा था। जिसमें बिरदीचन्द का हिस्सा 1/2 जिसके ख.न. 155, 156, 157 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा था, शेष 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि दुर्गालाल, रूपचन्द के कब्जे मे थी। बिरदीचन्द ने अपने कब्जे काश्त की भूमि का बेचान दिनांक 04.10.1991 को गैरनिगरानीकार सं. 01 को कर दिया। जो की दुर्गालाल व रूपचन्द की सहमति से किया गया है। तब से लेकर आज तक गैरनिगरानीकार सं. 01 इस पर काबिज है। आधे भाग हेतु सिविल कोर्ट में specific performance का दावा गैरनिगरानीकार सं. 01 के पक्ष में होकर डिक्री की गई तथा

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

इसकी अपील भी गैरनिगरानीकार सं. 01के पक्ष में निर्णित की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश(वरिष्ठ खण्ड) लालसोट जिला दौसा द्वारा वाद सं0 2/2006 उनवानी अशोक कुमार उपाध्याय बनाम सावित्री वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 25.3.2013 तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा उक्त निर्णय की अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.3.2018 की प्रतियों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य बिन्दु यह है कि गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा बिना विधिवत विभाजन कराये ही अपनी मनमर्जी से खसरा नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा लालसोट में से 1500 वर्गगज का पट्टा दिनांक 06.11.07 को नगरपालिका लालसोट से अपने नाम करा लिया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकार सं0 1 द्वारा व्यक्त किया गया है कि बिरदीचन्द ने अपने कब्जे काश्त की भूमि का बेचान दिनांक 04.10.1991 को गैरनिगरानीकार सं. 01 को कर दिया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश(वरिष्ठ खण्ड) लालसोट जिला दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 25.3.2013 में बिरदीचन्द द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि का बेचान दिनांक 04.10.1991 को गैरनिगरानीकार सं. 01 को कर दिया जाना सही मानते हुए दिनांक 4.10.91 को किये गये अनुबंध पत्र की पालना में उक्त विक्रय पत्र को पंजीकृत कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त निर्णय दिनांक 25.3.2013 की अपील होने पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा द्वारा भी निर्णय दिनांक 15.3.2018 द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.3.2013 की पुष्टि की गई है। अतः प्रश्नगत भूमि के विभाजन के बिन्दु पर निगरानी को सुने जाने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नगरपालिका लालसोट द्वारा दिनांक 6.11.07 को गैर निगरानीकार सं0 1 को दिया गया पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा